

प्रेषक,

एचवीओ सिंह,
विरोध सचिव,
30प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
30प्र0, लखनऊ।

नगरीय योजनाएं एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 2/ अगस्त, 2015

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या 37 के अन्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1902/76/एक/एवीएनवीओवाई/2013-14, दिनांक 04 अगस्त, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना" योजनागत वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत जनपद-सहारनपुर की न0निगम सहारनपुर की 09 परियोजनाओं एवं जनपद-बहराइच की न0पा0परि0, बहराइच व नानपारा तथा न0पंचायत, जरवल की 21 परियोजनाओं अर्थात् उक्त दोनों जनपदों की विभिन्न अल्पसंख्यक बाहुल्य विस्तारों में इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 30 परियोजनाओं हेतु शासनादेश संख्या-127/2363/69-1-14-59(अ0सं0-37)/2014, दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 द्वारा ₹0 611.97 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् ₹0 305.985 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में जारी की गयी थी। अतएव वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-37 में योजनागतगत प्राविधानित बजट से उक्त जनपदों में से केवल जनपद-बहराइच की न0पा0परि0, बहराइच व नानपारा तथा न0पंचायत, जरवल की 18 परियोजनाओं के कार्य को पूर्ण करने हेतु संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि ₹0 134.815 लाख (रुपये एक करोड़ अंतीस लाख इक्यासी हजार पांच सौ मात्र) की विन्नातिधित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

5. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
6. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय उपलब्धताका खण्ड 6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजता पर सकल स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सकल स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपयुक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनागत कार्य की

रवीन्द्र कुमार / श्री राजा

- निर्धारित सीमाओं, मापकों व अनुमति प्राप्त अवधि को सुनिश्चित करने हेतु कार्य क्रम-शः इस प्रकार कार्य-क्रम का कार्य अद्यतन किया जायेगा। उपरोक्त धनराशि से ही निर्धारित राजस्व सीमा में पूर्ण रूप से कार्य-क्रम का कार्य (सर्वोच्च) पर्याप्त विचारों को मिलेगा।
3. उपरोक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय ही अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
 5. उपरोक्त धनराशि जिस कार्य/उपक्रम में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/उपक्रम में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावहारिक अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
 6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिजिटल खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
 7. उपरोक्त परियोजना को आगामी निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने की पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।
 8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनदेशों के अनुरूप किया जायेगा।
 9. उपरोक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगमना का गठन वित्त विभाग के शासनदेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा परियोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
 10. उपरोक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उपरोक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उपरोक्त परियोजना/स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्तर से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
 11. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 12. उपरोक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30 प्रो, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30 प्रो शासन के प्रतिहस्ताक्षरपरान्त किया जायेगा।
 13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
 14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयुक्त प्रमाण पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
 15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

2. उपरोक्त नाम का उद्देश्य है "अनुदान संयोजन" के अंतर्गत योजनागत प्राविधिक बजट में उपरोक्त क्षेत्रों से लक्षणीय "221/राज्य विकास आयोजना-04-ग-01 वरिष्ठों का विकास 051-निर्माण 03-अभियंता कार्यों तथा अनुसंधानक बाहुल्य वरिष्ठों में शैक्षीक संतुष्ट/इंटरनेटिंग वाली ऑन का निष्पत्ति-35-पूर्वोक्त परिसरालियों के सुजन हेतु अनुदान" के तहत आता जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जय संख्या-2/2015/वी 1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।
संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-178/2015/2097(1)/63-1-2015 त्रिदिवंश।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवाकत कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं इकाई), प्रधान, 3050, 20 सर्वोच्ची जय, सार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 3050, 20 सर्वोच्ची जय, सार्ग प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 3050 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास आयोग, चण्डीगढ़।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जयहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-3) अनुभाग, 3050 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 3050 शासन।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास आयोग, 3050, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूचना विभाग वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/कंप्यूटर सहायक/बजट सज्जक।

आज्ञा से,
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

| क्र. सं. | जिला/तहसील का नाम | ब्लॉक/तहसील का नाम | परिचालन/कार्य का विवरण | परियोजना की कुल लागत। | द्वितीय/ अंतिम किस्त के रूप में स्वीकृति योग्य धनराशि। |
|----------|-------------------|--------------------|--|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | बहराइच | मो०पारमो बहराइच | मो० अमरगंज में भा० के मकान से सड़क जादि के मकान तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 10.59 | 5.295 |
| 2 | बहराइच | तदैव | मो० सलारगंज हसन नगर में फूले के मकान से गौरा बाबा मन्दिर तक एवं आन्तरिक गलियों इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 12.21 | 6.105 |
| 3 | बहराइच | तदैव | मो० सलारगंज हसन नगर में बसधारी के मकान से जीत के मकान तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 14.19 | 7.095 |
| 4 | बहराइच | तदैव | मो० सलारगंज जंगू शक्ति में राजकुमार गुप्ता के मकान से ब्रजेश शाह बाबा की मजार तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 24.69 | 12.345 |
| 5 | बहराइच | तदैव | मो० पल्लरी बाग में कल्लू की दुकान से नवी शेर आदि के मकान तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 10.70 | 5.35 |
| 6 | बहराइच | तदैव | मो० पल्लरी में शब्दर के मकान से शब्दू, रेन् आदि के मकान तक आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 16.34 | 8.17 |
| 7 | बहराइच | तदैव | मो० दरगाह शरीफ में निकाह घर के सामने से फेज अली आदि के मकान तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 14.52 | 7.26 |
| 8 | बहराइच | तदैव | मो० दरगाह शरीफ में दिनशाद के मकान से महबूब अली आदि के मकान तक एवं आन्तरिक | 14.35 | 7.175 |